

प्रेषक,

परशुराम प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बिजनौर/जालौन/कानपुर देहात।

लखनऊ : दिनांक : ०२ मई, 2013

राजस्व अनुभाग-10

विषय : वर्ष 2012-13 में ओलावृष्टि के पूरक यथा-अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने हेतु किये गये कार्यों के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2012-13 में ओलावृष्टि के पूरक यथा-अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने हेतु धनावंटन हेतु शासनादेश संख्या-4024/1-10-2010-14(63)/2010, दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 में दिए गए निर्देशानुसार प्रदेश में शीतलहरी के पूरक ओलावृष्टि, अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहर के प्रकोप से एम0एच0ए0 पत्र संख्या 32-7/2011-एन0डी0एम0-1, दिनांक 16 जनवरी, 2012 द्वारा जारी भारत सरकार की गाइड-लाइन के आईटम नं0-3 के प्राविधान Provision for Temporary Accommodation, food, clothig medical care etc. for people affected evacuated, sheltered in relief camps के अनुसार गृह विहीन / निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु शासनादेश संख्या-2690/1-10-2012-12(34)/03टी0सी0-1, दिनांक 26 नवम्बर, 2012 द्वारा प्रति तहसील कम्बल आदि हेतु रू0 5,00,000/- व अलाव हेतु रू0 50,000/- की धनराशि स्वीकृत करते हुये जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखी गयी थी।

उक्त के क्रम में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2012-13 में शीतलहरी को दृष्टिगत रखते हुये कराये गये राहत कार्यों आदि के लिए आप द्वारा की गयी मांग के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय उल्लिखित विवरणानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल धनराशि रू0 76,122/- (रूपये छिहत्तर हजार एक सौ बाइस मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र० सं०	जनपद	मद	जिलाधिकारी का सन्दर्भ	स्वीकृत धनराशि (रू० में)
1	बिजनौर	क्रय किये गये कम्बलों की समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति के भुगतान	933/तीन-सी0आर0ए0 (दैवी आपदा)- 13, दिनांक 25.03.2013	4,909/-

2	जालौन	कम्बल आदि के भाड़ा व लोडिंग व मजदूरी तहसील उरई का रैन बसेरा किराया	268/3-सी0आर0ए0, दिनांक 30.03.2013	11,600/- 53,970/- योग-65,570/-
3	कानपुर देहात	दैनिक न्यूजपेपर में विज्ञप्ति प्रकाशन का भुगतान	103/सी0आर0ए0-दौ0 आ0/2012-13, दिनांक 22.03.2013	5,643/-
			कुल योग रू0	76,122/-

3. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अर्न्तगत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि उन्हीं मदों में व्यय की जायेगी जिस मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। उक्त धनराशि का व्यय किसी अन्य मदों में कदापि न किया जाये।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि यदि अवशेष बचती है तो उसे शासन को नियमानुसार वापस किया जायेगा।

6. शासनादेश संख्या-2690/1-10-2012-12(34)/03टी0सी0-1, दिनांक 26 नवम्बर, 2012 की शर्तें यथावत रहेगी।

भवदीय,
(परशुराम प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या 1728 (1)1-10-2013-12(34)/03-टी0सी0-01 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ को राहतकीवेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बिजनौर/जालौन/कानपुर देहात।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5।
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व, उ0प्र0 शासन।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(परशुराम प्रसाद)
संयुक्त सचिव।